उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-60/2020/809/92-2-20-03टीएसी/17(टीसी-1)

लखनऊ:: दिनांक:: 16 मार्च 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-गोरखपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत एवं अवस्थावना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 20-12-2018 व 15-02-2019 में परिलक्षित शासकीय क्षति व अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-83/2019/1168/92-2-19-03टीएसी/17(टी0सी0-1) दि0 06-06-2019 द्वारा श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती के पत्र संख्या-1074 /ग्रा0 अ0वि0/एस0टी0/जांच/19-20 दि0 05-12-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलबध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 02 आरोप स्थापित न पाये जाने तथा श्री सक्सेना के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक31-07-2019 को सेवानिवत्त हो जाने के उन्हे किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जोन का अवसर न रह जाने के द्रष्टिगत श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर सम्प्रति सेवानिवत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06-06-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2020/809/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर सम्प्रति सेवानिवत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in